भारत सरकार

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं:. 2574

उत्तर देने की तारीख :04.08.2026

एससीएसपी का कार्यान्वयन

2574. श्री सु:वेंकटेशन .

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान अनुसूचित जाति उप योजना (एससीएसपी), जिसे अब डीएपीएससी के रूप में जाना जाता है, के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए कोई अध्ययन किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या केंद्रीय बजट में अनुसूचित जाति की आबादी के अनुपात में आवंटन किया जाता है और यदि हां, तो पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान हुई कमी का ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान एससीएसपी के लिए आवंटन में से किए गए व्यय और उपयोग न की गई राशि का प्रतिशत क्या है; और

(घ) पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान लक्षित योजनाओं को प्रदान की गई निधि का प्रतिशत कितना है?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री

(श्री रामदास आठवले)

(क): सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय को नीति आयोग के दिशा-निर्देश, 2017 के आधार पर अनुसूचित जाति उप-योजना/अनुसूचित जाति विकास कार्य योजना (डीएपीएससी) निधियों के आवंटन और उपयोग की निगरानी का कार्य सौंपा गया है। डीएपीएससी के तहत, पिछले वित्त वर्ष में 38 मंत्रालयों/विभागों को 239 योजनाओं के लिए निधियां आवंटित की गई थीं। सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग माननीय मंत्री तथा सचिव, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की अध्यक्षता में आवधिक समीक्षा बैठकों के माध्यम से डीएपीएससी के तहत दायित्व-प्राप्त मंत्रालयों/विभागों द्वारा डीएपीएससी निधियों के उपयोग की निगरानी करता है। हाल ही में, डीएपीएससी के तहत समीक्षा बैठकें 29.04.2025 को माननीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री श्री बी.एल. वर्मा की अध्यक्षता में और

25.08.2025 तथा 16.04.2026 को सचिव, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की अध्यक्षता में आयोजित की गई थीं। डीएपीएससी निधियों के इष्टतम उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए डीएपीएससी के तहत दायित्व-प्राप्त मंत्रालयों/विभागों को व्यय में तेजी लाने के लिए समय-समय पर निर्देश दिए जाते हैं। इसके अलावा, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री के निर्देशों के अनुपालन में डीएपीएससी को लागू करने वाले सभी 38 मंत्रालयों/विभागों ने अपने मंत्रालयों/विभागों में डीएपीएससी निधियों की वित्तीय और वास्तविक निगरानी के लिए एक नोडल अधिकारी नामित किया है।

(ख): प्रत्येक दायित्व-प्राप्त मंत्रालय/विभाग वर्ष 2017 में नीति आयोग द्वारा जारी "अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति विकास कार्य योजना (डीएपीएससी और डीएपीएसटी) के लिए निधियों के निर्धारण के लिए दिशा-निर्देशों" के अनुसार अपनी विभिन्न योजनाओं के तहत निधियों का आवंटन करता है। वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान विभिन्न मंत्रालयों/विभागों की उन योजनाओं एवं कार्यक्रमों का कुल बजट आवंटन 11,61,830.68 करोड़ रूपये था, जहां डीएपीएससी/एससीएसपी का आवंटन किया गया था। इसमें से अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए 1,68,482.06 करोड़ रूपये (बजट अनुमान) आवंटित किए गए थे, जो चिन्हित योजनाओं के तहत कुल आवंटन का 14.5% है।

(ग): वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान, संशोधित अनुमान (आरई) स्तर पर डीएपीएससी के तहत कुल आवंटन 1,61,201.98 करोड़ रूपये था। इसमें से संबंधित मंत्रालयों/विभागों द्वारा 1,38,068.85 करोड़ रूपये के व्यय की सूचना दी गई है, जो संशोधित अनुमान का 85.65% है।

(घ): डीएपीएससी आवंटन, स्वीकृत निधियों के प्रतिशत तथा योजनाओं के संबंध में विवरण वेब-पोर्टल ई-उत्थान https://e-utthaan.gov.in/ पर देखा जा सकता है, जहां डीएपीएससी के तहत चिह्नित योजनाओं के वित्तीय और वास्तविक निगरानी संकेतकों के संबंध में ऑनलाइन डेटा दर्ज किया जाता है। इस पोर्टल को सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) से जोड़ा गया है।
